न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –35 / 2018

अपीलान्ट बनाम रेस्पोडेन्टस

सुगनाराम पुत्र चन्द्राराम जाति सुथार निवासी पांचौडी तहसील खींवसर जिला नागौर

1. राज. सरकार जरिये तहसीलदार खींवसर
2. राज. सरकार जरिये हल्का पटवारी, पांचौडी तहसील खींवसर

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री श्यामकुमार व्यास।
2. रेस्पोडेन्टस की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय दिनांक : 23/7/18

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार खीवसर द्वारा मुकदमा नम्बर 307 / 2017 सरकार बनाम सुगनाराम अधीन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 20.12.2017 से असंतुष्ट होकर दिनांक 20.02.2018 को प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट ने मियाद प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के साथ अपना शपथ–पत्र पेश किया है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही के दौरान अपीलांट स्वंय उपस्थित हुआ। उस समय रीडर ने अपीलांट को बताया कि आगामी तारीख पेशी की सूचना दे दी जायेगी। अपीलांट इसी विश्वास में रहा कि प्रकरण अभी विचाराधीन है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के पांचौडी आने के पश्चात् उसी दिन आदेश जैर अपील पारित कर दिया जिसकी जानकारी अपीलांट को नहीं हो सकी। अभी दिनांक 12.02.2018 को अपीलांट को तहसीलदार खींवसर द्वारा नोटिस अतिक्रमण हटाने बाबत भेजा गया, तब अपीलांट को आदेश जैर अपील की जानकारी हुई, तब अपीलांट ने दिनांक 15.02.2018 को नकल हेतु आवेदन कर नकले प्राप्त की। तब प्रथम बार आदेश जैर अपील की सम्पूर्ण जानकारी हुई। प्रथम जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश की है। न्यायाहित में अपील अन्दर मियाद शुमार की जाना उचित व न्याय संगत होने का कथन करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने का कथन करते हुऐ अपीलान्ट का मयाद प्रार्थना पत्र व अपील खारिज करने का निवेदन किया।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथनों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए न्यायहित में अपील की मेरिट पर सुनवाई की गई।

वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में दिये गये तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि हल्का पटवारी पांचौडी तहसील खींवसर ने दिनांक 12.12.2017 को अप्रार्थी के विरूद्ध एक रिपोर्ट प्रस्तुत की कि अप्रार्थी ने मौजा पांचौडी के खसरा नम्बर 584 रकबा 0–01–01 बीघा किस्म गै.मु. गोचर पर नाजायज रूप से कब्जा कर राजकीय भूमि को स्वय के खेत में मिलाकर अतिक्रमण कर लिया है। अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को 91 एल.आर. एक्ट की उप धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस जारी कर अतिक्रमित भूमि 15 दिन के भीतर खाली किये जाने की अपेक्षा की गई। अप्रार्थी ने अतिक्रमित भूमि 15 दिन की विहित अवधि में खाली नही की है। परिणामत: मौजा पांचौडी के खसरा नम्बर 584 रकबा 0–01–01 बीघा गै.मु. गोचर में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की पुश्त पर अंकित नजरी नक्शे अनुसार राजकीय भूमि पर अप्रार्थी ने कब्जा काश्त अतिचार किया है। अप्रार्थी का यह कृत्य राजकीय भूमि नाजायज अतिचार की श्रेणी में आता है एतएव राज. भू राजस्व अधिनियम 1958 की धारा 91 (2) के अध्यधीन अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाकर अतिक्रमित भूमि मौजा पांचौडी के खसरा नम्बर 584 रकबा 0–01–01 बीघा किस्म गै.मु. गोचर से भौतिक रूप से बेदखल करने के कारण वार्षिक लगान 0–02 रूपये का 50 गुणा 1–00 रूपये की शास्ति से दण्डित किये जाने का आदेश पारित कर दिया। जिस आदेश जैर अपील से क्षुब्ध होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील पूर्णतया अवैध एंव विधि विरूद्ध ढंग से पारित किया गया होने से काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य सबूतों पर गौर किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया है जो काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित खसरा नम्बर 584 की 1 बिस्वा 1 बिस्वाशी भूमि पर अपीलांट की दुकान बनी हुई है। जो दुकान आज सो 50 वर्ष पूर्व से ही मौके पर बनी हुई है। जिसमें अपीलांट अपना व्यवसाय करता आया है। इसके अलावा मौके पर एक ही लाईन में 5–7 दुकाने बनी हुई है। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय अथवा हल्का पटवारी ने मौके पर बिना किसी प्रकार का नाप चोप किये उक्त दुकानों को अतिक्रमण बताया है। अधिनस्थ न्यायालय ने भी उक्त प्रकरण में किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की एंव सीधा ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया जो काबिल निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट मात्र को आधार मानकर आदेश जैर अपील पारित कर दिया जबकि रिपोर्ट के समर्थन में हल्का पटवारी के बयान लिये जाने चाहिए थे। इसके अलावा प्रथम पेशी दिनांक 20.12.2017 को ही अपीलांट की उपस्थिति दर्ज करते हुए बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना जवाब लिये सीधे ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत जाकर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये आदेश जैर अपील पारित किया है जो काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया है निर्णय साईक्लों स्टाईल तरीके से छपा हुआ है जिसमें केवल मात्र रिक्त स्थानों की पूर्ति की गई है। इस कारण उक्त निर्णय, निर्णय की तारीफ में आता है, न ही अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करते समय अपना माइन्ड एप्लाई किया है बल्कि केवल मात्र रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए निर्णय पारित किया है जो काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। अपील अपीलांट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक

20.12.2017 निरस्त फरमाने। विकल्प में प्रकरण अपीलांट को पूर्ण सुनवाई का अवसर देकर पुनः निर्णय पारित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रेति प्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आवीणा में वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुऐ स्वंय की बहस में कथन किया की अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त गै.मु. गोचर भूमि पर अतिकमण किया है, जो पटवारी रिपोर्ट से स्पष्ट है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित होने से अपीलान्ट की अपील खारिज करने का निवेदन किया।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा ग्राम पांचोडी के खसरा नम्बर 584 गैर मुमकिन गोचर भूमि रकबा 0–01–01 बीघा भूमि पर अतिकमण किया गया है, जो हल्का पटवारी पांचोडी की भू अभिलेख निरीक्षक पांचोडी से जॉच रिपोर्ट दिनांक 07.12.2017 से स्पष्ट साबित है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, जिससे यह साबित हो की उसके द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अतिकमण नहीं किया गया हो। इस प्रकार निर्णय जैर अपील विधि सम्मत होना पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुऐ निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर नागौर